

Title: Need for early construction of S.Y.L. Canal between Punjab and Haryana - Laid.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह एस0वाई0एल0 नहर का जो भाग पंजाब ने बनाना है, उसे 20 जनवरी, 2003 से पहले पूरा कर दिया जाये। परंतु, पंजाब के राज नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे यह विषय उलझता हुआ नजर आ रहा है।

मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार इस विषय में हस्तक्षेप कर के एस0वाई0एल0 नहर का निर्माण कराये ताकि हरियाणा को पानी मिल सके।